महत्वपूर्ण / समयवद्ध

संख्या–974 /9–9–13–7घो0 / 12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 22-नवम्बर, 2013

विषय– नगरीय स्थानीय निकायों में रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण / नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या–161सीएम / नौ–9–97–23ज / 97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के क्रम में शासनादेश संख्या–98 / नौ–9–2004–23ज / 97टी.सी.–2 दिनांक 05 फरवरी, 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिक्शा (निजी चालित) पर आरोपित लाइसेंस शुल्क रू0 75.00 को समाप्त करते हुये यह निर्देश जारी किये गये है कि रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिये कोई फीस / शुल्क देय नहीं होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2004 द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी करने के बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा रिक्शा चालकों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और न ही उनके पंजीकरण की अद्यतन सूचना संग्रहित की जा रही है, जबकि उक्त शासनादेश में रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। कृपया नागर निकाय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर रिक्शा चालकों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में समेकित रिपोर्ट शासन को **10 दिन में** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 प्रतिदिन उक्त का अनुश्रवण करके अद्यतन स्थिति से निदेशक,सूडा तथा प्रमुख सचिव,नगर विकास को अवगत कराते रहेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

22/11/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

Spgo-2

संख्या–९१५ (1) /9–9–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2. निदेशक,सूडा,उत्तर प्रदेश,लखनऊ
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)

3. गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

22/11/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

प्रभारी लाइसेंस
कृ0 तत्काल कार्यवाही
करें।

संख्या-16 पी0एस0/नौ-9-97-23ज/97 31.12.97

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त नगर प्रमुख, नगर निगम, उ0 प्र0 ।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उ0 प्र0 ।
5-समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, उ0 प्र0 ।
6-समस्त अध्यक्ष, नगर पंचायत, उ0 प्र0 ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 1997

विषय:- नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जा रही लाइसेंसिग शुल्कों की दरों में वृद्धि ।

महोदय,

उक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204जनरल/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 94 एवं शासनादेश संख्या-1847/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 9 जून, 1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2-नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जा रही लाइसेंसिग शुल्कों में वृद्धि का उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और सुदृढ़ बनाना है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि लाइसेंसिग शुल्कों की दरों में वृद्धि लागू न करने का एक प्रमुख कारण कतिपय मदों की दरों में विषमता होना है। अतएव इस सम्पूर्ण प्रकरण पर पुन: विचार करके शासनादेश दिनांक 27-x-94 के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 9 जून, 1997 के कतिपय मदों में उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अब संलग्नक में दी जा रही दरों के अनुसार लाइसेंसिग शुल्क लागू/आरोपित किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

3-उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन व्यवसायों पर पूर्व से भी लाइसेंसिग शुल्क एकलम्बी अवधि से लिया जा रहा है, उसकी दरों को इस प्रकार की वृद्धि की सीमा में लाया जाय कि मूल्य-वृद्धि के दृष्टिगत तत्समय लगाये गये शुल्क के अनुरूप ही शुल्क की स्थितियों में भी प्राप्त होता रहे।

4-इसी क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि हाथ ठेला के लाइसेंसिंग धारकों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय एवं समय-समय पर हाथ ठेला धारकों की चेकिंग कर उनसे जुर्माना भी लिया जाय और यदि इस हेतु उपविधियों में संशोधन अपेक्षित हो, तदनुसार कार्यवाही की जाय ।

कृपया उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 11.12
(अरूण कुमार मिश्र)
सचिव ।

19-	रिक्शा किराये पर	150/-
20-	रिक्शा (निजी चलित)	75/-
21-	ठेला / ठेली	100/-
22-	हाथ ठेला	25/-
23-	बैलगाड़ी / भैसा गाड़ी	25/-
24-	ट्राली	150/-
25-	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	6000/-
26-	इनश्योरेंस कम्पनी, प्रति शाखा	12000/-
27-	पशुचिकित्सालय (स्लाटर हाउस)	25/- प्रति पशु
28-	हड्डी खाल गोदाम	1000/-
29-	बार / बियर	6000/-
30-	आइस फैक्टरी	100/-
31-	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000/-
32-	देशी शराब (प्रति दुकान)	6000/-
33-	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12000/-
34-	भैंसा मांस की दुकान	300/=
35-	बकरा मांस की दुकान	600/=
	पशुपालन	
36-	प्रति पशु	10/-
37-	कांजी हाउस में बंद जानवरों पर जुर्माना	350/-
38-	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)	10/-
39-	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	25/-

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मा0 श्री श्याम बिहारी, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल ।
3- निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री नगर विकास को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(ओमप्रकाश)
अनु सचिव ।

शासनादेश सं0-161सी एम/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997

का संलग्नक

क्र0सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें
1-	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस तथा बारात घर	1000/-
2-	तीन सितारा होटल	9000/-
3-	पाँच सितारा होटल	12000/-
	नर्सिंग होम	
4-	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2000/-
5-	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5000/-
6-	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4000/-
7-	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5000/-
8-	प्राइवेट अस्पताल	5000/-
9-	पैथोलाजी सेंटर	1000/-
10-	एक्सरे क्लीनिक	2000/-
11-	डेन्टल क्लीनिक	4000/-
12-	प्राइवेट क्लीनिक	3000/-
	परिवहन	
13-	आटो रिक्शा 2 सीटर	360/-
14-	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	720/-
15-	आटो रिक्शा 4 सीटर	500/-
16-	मिनी बस	1500/-
17-	बस	2500/-
18-	तांगा	50/-

क्रमशः 2

931 (?) 9.13

(9)

संख्या- 98/ नौ-9-2004-23ज/97टीसी-II

प्रेषक,

खांजन लाल,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त/महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 05 फरवरी 2004

विषय:- नगर स्थानीय निकायों द्वारा निजी रिक्शा चालकों पर आरोपित किये गये लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या -161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 16.12.97 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों में रिक्शा (निजी चालित) हेतु रूपया 75/- (रू0 पचहत्तर मात्र) लाइसेंस शुल्क आरोपित [illegible] है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16.12.1097 के क्रम संख्या 20 पर उल्लिखित रिक्शा (निजी चालित) पर आरोपित लाइसेंस शुल्क रू0 75/- (रू0 पचहत्तर मात्र) को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है। यह व्यवस्था केवल ऐसे रिक्शा चालकों पर लागू होगी जो स्वयं रिक्शा खरीदते हैं और स्वयं ही चलाते है। रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा किन्तु इस हेतु कोई फीस/शुल्क देय नहीं होगा।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

ह0/-
(खांजन लाल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0लखनऊ।
2. निजी सचिव मा0मंत्री/मा0राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/-
(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव

सूचना प्राप्त किया
11/3/2004
रा0द0रि0चालक महासंघ
बलिया